न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –39 / 2021

दायर दिनांक –31.08.2021

निर्णय दिनांक –04.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2021 / 98

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. एस0के0 चौधरी, अधि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीगण हाजिर। अप्रार्थीगण (1. तहसीलदार पुष्कर 2. पटवारी, खोरी) हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में खाता सं0 1005 के खसरा नंबर 3118 / 2083 रकबा 0.81 है0 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र क्रमांक / तह.पु / कोर्ट / 2021 / 1500 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार **"ग्राम गनाहेड़ा के खसरा नंबर 3118 / 2083 रकबा [illegible] राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी खातेदार चन्द्रशेखर पुत्र पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण के [illegible] दर्ज है। वर्तमान में उपरोक्त खसरा नंबर पर प्रार्थी खातेदार स्वयं ही काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खसरा का उत्तरी भाग का आंशिक हिस्सा खसरा नंबर 3119 / 2083 रकबा 0.80 है0 में वर्तमान में सम्मिलित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार युवराज सिंह पुत्र केप्टन कुलदीप सोलंकी जाति राजपूत के नाम दर्ज है। अतः खसरा नंबर 3119 / 2083 रकबा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

04.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

0.80 है0 के खातेदार युवराज सिंह पुत्र केप्टन कुलदीप सिंह जाति राजपूत जो कि प्रार्थी खातेदार का पड़ोसी है, को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित है।

अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को 500/– रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गनाहेड़ा तहसील पुष्कर की आराजी संख्या खाता सं0 1005 के खसरा नंबर 3118/2083 रकबा 0.81 है0 भूमि में पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करें। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस आशय बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

04.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested